ॐकार फाउन्डेशन ट्रस्ट
'માનવસેવા એ જ ઈશ્વરસેવા'
ॐकार फाउण्डेशन ट्रस्ट

वर्ष-4 अंक : 48

सहयोग शुल्क : रु. 1 / दिसंबर : 2020

दिव्यांग सेतु

संपादक :- संतश्री ॐऋषि प्रितेशभाई

३ दिसंबर – विश्व दिव्यांग दिवस

"यह हमारा सौभाग्य है कि हमें दिव्यांगो की सेवा करने का अवसर मिला।"
– प्रधानमंत्री, नरेन्द्र मोदी

"दिव्यांगजनों को सहानुभूति की नही, साथ की जरुरत होती है..."
– संतश्री ॐऋषि प्रितेशभाई

"दिव्यांगजनों के सशक्त होने से देश भी विकासशील और सशक्त बनेगा।"
– मुख्यमंत्री, विजयभाई रुपाणी (गुजरात राज्य)

निरामय हेल्थ पॉलिसी

पात्रता

- केन्द्र सरकार द्वारा चलाई जा रही यह पॉलिसी सेरेबल, पाल्सी, ऑटिज्म, मेन्टल रिटार्डेशन, मल्टिपल डिसेबिलिटीसे असरग्रस्त दिव्यांगो को मिल सकती है।
- ४०% अथवा उससे अधिक दिव्यांगता से असरग्रस्त व्यक्ति को इस पॉलिसी का लाभ मिल सकेगा।
- रू. २५०/- बी.पी.एल. एवं रु.५००/- ए.पी.एल. दिव्यांगो के लिए सिंगल प्रीमियम

लाभ

रु. १,००,०००/- तक का इंश्योरेंस मिल सकता है।
(निर्धारित किए हुए फंड के अनुसार)

आवेदन-पत्र के साथ जमा किए जाने वाले प्रमाण-पत्र/दस्तावेज

सिविल सर्फर का दिव्यांगता दर्शाता प्रमाण-पत्र

(ऊपर बताई गई चार बीमारियों में से किसी भी एक का उल्लेख प्रमाण-पत्र में जरुरी है)

- ✓ वर्तमान की पासपोर्ट साइज़ फोटो
- ✓ राशनकार्ड की प्रमाणित कोपी
- ✓ निवास स्थान का प्रमाण (राशनकार्ड अथवा वोटिंग कार्ड)
- ✓ बी.पी.एल. कार्ड (यदि बी.पी.एल. में आते हैं तो)
- ✓ बैंक पासबुक की फोटो कोपी (बैंक IFSC कोड के साथ)

संपादकीय

जो अपनी राह से भटकते है,
वो अपना सफर मुश्किल बनाते है।
जो अपनी जिद पें अडते है,
वो अपने सफर में मंजील को पाते है।

इस छोटी सी पंक्तियां हमे जीवन जीना सिखाती है। कुछ हटके करो, खुद को बदलो, खुद को बदलना थोडा सा मुश्किल जरुर होता है, मगर नामुमकीन नही। हर व्यक्ति में किसी ना किसी खामी और कोई ना कोई खूबी भी होती ही है। बस हमें हमारी कमीयों को नजरअंदाज करके अपनी खूबीओ को देखना है। खुबीओ को संवारने की ओर आगे बढना है। सिर्फ कमीयों पर ही देखते रहेंगे, सोचते रहेंगे तो एक दिन हम मायुस हो जायेंगे। इसलिए जींदगी में हमे मायुस नही होना है लक्ष्य को पाना है और इसके लीये जरुरी होता है बुलंद होंसला, एक जूनुन, एक जिद।

हमे बस ये खामीयां और खुबीयां के बीच का जिन्होने अपनी सकारात्मक सोच और जुनुन से अनेक मुश्कीलो के बीच भी सफलता प्राप्त की है। अपने लक्ष्य को पाया है और अपना और देशका नाम रोशन कीया है। हम भी सबकुछ कर सकते है जो कुछ हम चाहते है। बस सकारात्मक सोच के साथ आगे बढते रहीए।

आप सभी को निवेदन है की ''दिव्यांग सेतु'' पत्रिका में प्रकाशित करने हेतु आपके आसपास दिव्यांगजनो के अनुलक्ष में हुए कार्यक्रम या कोई दिव्यांग व्यक्ति की जानकारी का ब्योरा भी आप हमें भेज सकते है। हम इसे प्रकाशित करेंगे।

आओ, आप भी दिव्यांगजनो के इस सेवायज्ञ में हमारा साथ दें....

दिव्यांग सेतु
मासिक पत्रिका

दिसंबर : 2020, पृष्ठ संख्या : 16
वर्ष : 4 अंक : 48

✦ प्रेरणास्त्रोत और संपादक ✦
संतश्री ॐऋषि प्रितेशभाई

✦ सह-संपादक ✦
मिहिरभाई शाह
मो. 97241 81999

✦ संपर्क-सूत्र ✦
सेवा समर्पण फाउण्डेशन
ॐकार फाउण्डेशन ट्रस्ट (NGO)
Trust Reg. No. : E/20646/Ahmedabad
०१, ग्राउण्ड फ्लोर, आंगी एपार्टमेन्ट,
अन्नपूर्णा पार्टी प्लाट के सामने,
नया विकासगृह रोड, पालडी,
अहमदाबाद - ३८०००९
(मो.) 99749 55365, 9974955125

✦ मुद्रक ✦
प्रिन्ट विज़न प्रा. लि.
आंबावाडी बाज़ार, अहमदाबाद-6
Phone : 079 26405200

★ विश्व विकलांग दिवस
(WORLD DISABILITY DAY-3 DECEMBER)

हर साल 3 दिसंबर को विश्व विकलांग दिवस मनाया जाता है। यह दिन संयुक्त राष्ट्र संघने 3 दिसंबर 1991 से प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रिय विकलांग दिवस को मनाने की स्वीकृती प्रदान की थी। वर्ष 1976 में संयुक्त राष्ट्र आम सभा के द्वारा "विकलांग जनों के अंतरराष्ट्रीय वर्ष" के रुप में 1981 तो घोषित किया गया था। अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय और क्षैत्रिय स्तर पर विकलांगजनो के लिए पुनरुध्धार, रोकथाम, प्रचार और बराबरी के मौको पर जोर देने के लिए योजना बनायी गई थी । समाज में उनकी बरोबरी के विकास के लिए, विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों के बारे में लोगो को जागरुक करने के लिए, सामान्य नागरीकों की तरह ही उनकी सेहत पर भी ध्यान देने के लिए और उनकी सामाजीक - आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए "पुर्ण सहभागिता और समानता" की थीम विकलांग व्यक्तिओ के अंतरराष्ट्रीय वर्ष के उत्सव के लिए निर्धारीत कीया गया था।

सरकारी और दुसरे संगठनो के लिए निर्धारीत समय-सीमा प्रस्ताव के लीये संयुक्त राष्ट्र आम सभा के द्वारा "विकलांग व्यक्तियों के संयुक्त राष्ट्र दशक" के रुप मे वर्ष 1983 से 1992 को घोषित कीया गया था। जिससे वो सभी अनुसंशित क्रियाकलापो को ठीक ढंग से लागु कर सके।

★ विश्व विकलांग दिवस को मनाने का लक्ष्य :-

- हर उत्सव को मनाने का महत्वपुर्ण लक्ष्य विकलांगजनो के सक्षमता के मुद्दे की और लोगो की जागरुकता और समज बढाना है।
- समाज में उनके आत्म-सम्मान, लोक-कल्याण, और सुरक्षा की प्राप्ती के लिए विकलांगजनों की सहायता करना।
- जीवन के सभी पहलुओं में विकलांगजनों के सभी मुद्दे को बताना
- समाज में उनकी भुमिका को बढावा देना और गरीबी घटाना, बराबरी का मौका प्रदान कराना, उचित पुनरुध्धार के साथ उन्हें सहायता देना।
- इस बात का विश्लेषण करें की सरकारी संगढन द्वारा सभी नियम और नियामकों का सही से पालन हो रहा है या नही।
- उनके स्वास्थ्य, सेहत, शिक्षा और सामाजीक प्रतिष्ठा पर ध्यान केन्द्रित करना।

★ विश्व विकलांग दिवस को मनाना क्यों आवश्यक है :-

ज्यादातर लोग ये भी नही जानते की उनके घर के आसपास समाज में कितने लोग विकलांग है । समाज में उन्हें बराबर का अधिकार मिल रहा है की नही । अच्छी सेहत और सम्मान पाने के लिए तथा जीवन में आगे बढने के लीये उन्हें सामान्य लोगो से कुछ सहायता की जरुरत है । लेकीन, आमतौर पर समान में लोग उनकी सभी जरुरतो को नही जानते है । आंकडो के अनुसार ऐसा पाया गया है की लगभग पुरे विश्व के 15 प्रतिशत लोग विकलांग है ।

इसलिए विकलांगजनों की वास्तविक स्थिति के बारे में लोगो को जागरुक करने के लिए इस उत्सव को मनाना बहुत आवश्यक है विकलांगजन "विश्व की सबसे बडी अल्प संख्यको" के तहत आते है और उनके लिए उचित संशोधनों और अधिकारों की कमी के कारण जीवन के सभी पहलुओं में ढेर सारी बाधाओं का सामना करते है।

"कलंक नही है दिव्यांग सामाजिक बराबरी मिलेगी तो आगे बढेंगे दिव्यांग"

इस तरह दिव्यांगजनों की प्रति आम लोगो को जागरुक करने के लिए हर साल विश्व विकलांग दिवस अलग-अलग थीम रखकर मनाया जाता है।

★ गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री श्री विजय भाई रुपाणीने राज्य के दिव्यांगजनों को दी दिपावली की भेट :-

★ दिव्यांगजनों को दिपावली की भेट, दिव्यांग उपकरण – मदद दोगुनी की जायेगी।

गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री श्री विजय भाई रुपाणीने राज्य के दिव्यांगजनो को दिपावली की भेट देते हुए दिव्यांगो को दी जानेवाली साधन सहायता की राशि दोगुनी करने सहित कंई महत्वपुर्ण घोषणाए की है। मुख्यमंत्री के आवास पर ''मोकडा मने'' कार्यक्रम के तहत राज्यभर से आये दिव्यांग बालको और व्यक्तियों के साथ संवाद करते हुए विजय भाई रुपाणीने यह घोषणाए की।

पहेले	नया बदलाव
१) फिल हाल दिव्यांग प्रमाणपत्र जिला मुख्यालय और अहमदाबाद सिविल अस्पताल से ही प्रदान कीया जाता है।	१) अब यह प्रमाणपत्र जिलो में स्थित राज्य सरकार की 22 मेडीकल कोलेजो से भी जारी कीया जायेगा।
२) दिव्यांग उपरकरण - सहायता राशि पहेले प्रति व्यक्ति 10 हजार रुपए थी।	२) अब यह दिव्यांग उपकरण - सहायता राशि दोगुनी यानी की 20 हजार रुपए कर दी जायेगी।
३) दिव्यांग बालको और बाल संरक्षण गृह के निराधार और अन्य बालको को फिलहाल प्रति व्यक्ति ग्रांट को 1500 रुपये प्रति माह दिया जाता था।	३) अब यह ग्रांट को प्रति व्यक्ति प्रति माह 2160 रुपये किया जायेगा। इससे करीब 10 हजार बालको को इसका लाभ मिलेगा।

★ दिव्यांग वित्त और विकास निगम कार्यरत होगा...

उन्होंने कहा की राज्य में दिव्यांग व्यक्तियों के कल्याण की योजनाओं के अमल और जरुरतों के सुचारु निर्णयों के लीये राज्य सरकार अलग दिव्यांग वित्त एवं विकास निगम कार्यरत करेगी । देश की संसद की ओर से पारित दिव्यांग अधिनियम के अनुरुप गुजरात में दिव्यांग वेल्फेयर कमिश्नर की नियुक्ति की जायेगी । यह आयुक्त दिव्यांगो के लिए कार्य करती संस्थाओ के प्रशासनिक और वितीय मामलो के बारे में परामर्श के साथ उनकी मांगो के उचित समाधान और दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण का खयाल रखेंगे ।

★ दिव्यांग खिलाडियों के लिए देश में बनेगा पहला दिव्यांग स्टेडियम :-

देश के दिव्यांग खिलाडियों के लिए ग्वालियर में नई राह खुलने जा रही है । प्रदेश सरकारने देश के पहले "दिव्यांग खेल केन्द्र" (स्टेडियम) के लिए ग्वालियर के ट्रिपल आईटीएम के सामने 22 हेक्टेयर भूमि आवंप्ति कर दी है । केबीनेट बेठक में जमीन देने की मंजूरी दी गई । यह देश का पहला खेल केन्द्र होगा । जिसमे दिव्यांग खिलाडी न सिर्फ खेलो का हुनर सीखेंगे बल्कि पढाई भी कर सकेंगे । सामाजिक न्याय और अधिकारीता विभाग इसके निर्माण पर 170 करोड रुपए खर्च करेगा ।

विभागीय अफसरो के मुताबिक इस स्टेडियम में खेल मैदान के साथ खिलाडीओ के ठहरने के लिये होस्टेल की व्यवस्था रहेगी । उनकी शिक्षा के साथ स्पेशल ट्रेनींग भी विभाग की देखरेख में होगी । स्टेडीयम में प्रतिभावन दिव्यांग खिलाडीओ को राष्ट्रीय और आंतरराष्ट्रीय स्पर्धाओ के लीये तैयार कीया जायेगा । इसके अलावा अब शहर में भी पैरालिंपिक जैसे बडे आयोजन के रास्ते खुलेंगे ।

यहां देशभर के दिव्यांग बच्चो को उनकी योग्यता और मेरिट के आधार पर प्रवेश दिया जायेगा । इस स्टेडियम की ड्रोइंग और डिजाइन तैयार हो चुकी है ।

एरिया - 22 हेक्टेयर

बजट - 170 करोड

समय सीमा - 2 साल

★ ये होगा खास खेल केन्द्र में :-

आउटडोर एथलेटिक्स स्टेडियम, इंडोर स्पोर्टस कोम्पलेक्स, बेसमेंट पार्कींग सुविधा, दो स्वीमींग पूल, एक कवर और एक आउट डोर, क्लासरुम के साथ हाई परफोमेंन्स सेंटर, एथलीट्स के लिए हॉस्टल, स्पोर्टस एकेडमिक एंड रिसर्च, चिकित्सा सुविधा, प्रशासनिक ब्लोक।

★ इन खेलों की मिलेगी ट्रेनींग :-

(१) इंडोर :- बैडमिंटन, बास्केट बोल, टेबल टेनिस, वोलीबोल, जूडो, तरककंडों, तलवारबाजी और रग्बी।

(२) अनुकूलित खेल (इंडोर) :- बोस्किया, गोलबोल, फुटबोल 5 ए साईड, पैरा डांस स्पोर्ट्स व लिफ्टिंग।

(३) एकीकृत खेल (आउटडोर) - एथलेटिक्स, तीरंदाजी, फुटबोल TA साईड और टेनिस।

(४) स्वीमींग (इंडोर और आउटडोर)

★ विभिन्न कोच की भर्ती होगी, रोजगार के अवसर बढेंगे :-

इस स्टेडियम बनने के बाद अलग-अलग खेलो में विभिन्न कोचीस की भर्ती होगी, इससे खेल के क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढेंगे, जो लोग स्पेशल डिग्री के साथ किसी खेल में विशेषज्ञ है उन्हें यहां पर नौकरी करने का मौका मिलेगा, स्थानीय स्तर की प्रतिभाओ को बतौर प्रेक्टीकल भी खेल की गई विद्याओ और तकनीको को सिखने का सुनहरा अवसर मिलेगा।

★ दिव्यांग चित्रकार बजरंग सुथार "सवाई जगतसिंह अवार्ड-20" से सम्मानित :-

मोमासर के दिव्यांग चित्रकार बजरंग सुथार को जयपूर राजघराने के महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय म्युजियम की ओर से दिए जानेवाले राष्ट्रीय पुरस्कार "सवाई जयपूर अवार्ड-2020" के अंतर्गत महाराजा सवाई जगतसिंह अवार्ड से सम्मानित कीया गया । कार्यक्रम का आयोजन जयपूर सीटी पेलेस में कीया गया था । कोविड-19 के चलते इस कार्यक्रम का आयोजन इस वर्ष वर्च्युअल कीया गया था ।

महाराजा सवाई जगतसिंह अवार्ड हर वर्ष 27 अलग-अलग विद्याओ में उल्लेखनीय कार्य करने पर दीया जाता है। जिसके अंतर्गत 31 हजार रुपए, चांदी का कलश, शाल, श्रीफल और प्रशस्ति पत्र प्रदान कीया जाता है । दिव्यांग चित्रकार बजरंग सुथार को ये पुरस्कार विपरीत परिस्थितियो में स्वयं को सक्षम करने के लिए दिया गया है । गौरतलब है की बजरंग सुथार अपने उल्टे हाथ की दो अंगुलियों का और अंगुठे की सहायता से पेंटींग करते है, बजरंग सुथार के युवा अवस्था में पैरालाईज हो जाने के कारण शरीर के अधिकांश हिस्से ने काम करना बंद कर दीया था । ऐसे में उन्होने हिंमत न हारते हुए उल्टे हाथ की दो अंगुलियों और अंगुठे की मदद से पेन्टिग करनी शुरु की थी ।

मोमासर में ये सम्मान प्राप्त करनेवाले बजरंग सुथार व्यक्ति है । इससे पहेले 2013 में मोमासर के विनोद जोशी को यह सम्मान विलुप्त होती लोक कलाओ को संरक्षण देने और उनके उन्नयन के लिए दीया गया था । ग्रामीणोने इसे गांव के गौरव की बात बताई है । उल्लेखनीय बात यह भी है की दिव्यांग चित्रकार बजरंग सुथार विनोद जोशी को अपना गुरु मानते है । इस तरह चित्रकला में दिव्यांग होते हुए भी अपना एक अलग हुनर दिखाकर बजरंग सुथारने हर एक दिव्यांग का हौंसला बढाया है । दिव्यांग होते हुए भी अपने दम पर कैसे जी सकते है । कैसे सफलता की ओर आगे बढ सकते है । इसका उत्तम उदाहरण बजरंग सुथारने अपने कार्य से दिया है ।

सम्मान: दिव्यांग चित्रकार बजरंग सुथार 'सवाई जगत सिंह अवार्ड-20' से सम्मानित

★ दिव्यांग मोहिनी ने तीन महिने की अपनी पेंशन से बांटे मास्क :-

कपकोट तहसील हरसिंग्याबगड़ निवासी दिव्यांग 'मोहिनी कोरंगा' ने अपनी तीन महिने की पेंशन से 600 लोगों को मास्क बांटे है । यह जिला अस्पताल में आनेवाले हर किसी को मास्क बांट रही है । मोहिनी का कहेना है की इस समय पूरा देश कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के संकट से लड़ रहा है । इस समय ये बिमारी में और सेनेटाईज़र की भूमिका अहम है । गांवों से आनेवाले लोगों को बाज़ार से खरीदना पड़ रहा है इसे देखते हुए उन्होंने अपने तीन महिने की पेंशन राशि से लोगों को मास्क बांटने का निर्णय लिया था । मास्क बांटने के दौरान वह सौशल डिस्टेंसींग का भी पालन करने की लोगों को अपील कर रही थी...

★ दिव्यांगो के ईलाज पर भी मिलती है टैक्स छूट, जाने नियम :-

आयकर अधिनियम की धारा **80DD** तथा **80U** के तहत टेक्सपेयर्स दिव्यांगो के ईलाज में हुए खर्च पर टैक्स में छूट का दावा कर सकते है। छुट कीतने की मिलेगी यह डिसेबिलिटी के परसेंटेज पर निर्भर करेगा। इन दोनो धाराओ के तहत **75000** से लेकर **1.25** लाख रुपये तक की टैक्स छूट का फायदा उठाया जा सकता है। आयकर अधिनियम की धारा **80DD** तथा **80U** के तहत टेक्सपेयर्स डिडकशन का दावा कर सकते है। चुंकी दोनो ही धाराओ का उदेश्य समान दै, इसलिए दोनो धाराओ का इस्तेमाल एकसाथ नही कीया जा सकता। दोनो ही धाराओ के लीये डिडकशन की राशि एक समान है। टैक्स छुट के लीये **80DD** का इस्तेमाल वही व्यक्ति कर सकता है। जिसने दिव्यांग के ईलाज पर खर्च कीया है। वहीं दूसरी तरफ, टेक्स छूट के लीये **80U** का इस्तेमाल वही व्यक्ति कर सकता है, जिसने दिव्यांग के ईलाज पर खर्च कीया है। वहीं दूसरी तरफ टेक्स छूट के लीये **80U** का इस्तेमाल वही व्यक्ति कर सकता है जो खुद दिव्यांग है।

★ आयकर अधिनियम की धारा 80DD और 80U का इस्तेमाल करने से पहेले इसके बारे में समजने के लीये कुछ जरुरी बातें.....

(१) कौन कर सकता है डिडकसन का दावा ?

जैसा की बताया गया है की धारा 80DD के तहत डिडकसन का दावा वही व्यक्ति कर सकता है। जिसने दिव्यांग की ट्रेनींग, रिहैबिलीटेशन, मेडीकल ट्रीटमेंट पर कीया है। दिव्यांग उस व्यक्ति पर पूरी तरह से डिपेंडेंड होना चाहीए। पेरेंट्स, बच्चे, पूरी तरह निर्भर भाई और बहन का समावेश कीया जाता है।

(२) डिडक्सन कलेम करने के लिए शर्ते :-

80DD या 80U के तहत टैक्स छुट का दावा कोई व्यक्ति तभी कर सकता है, जब वह खुद या डिपेंडेंट डिसैबिलीटी, ओटीजम, सेरेब्रल पाल्सी या मल्टिपल डिसेबिलिटीज से पीडीत हो । इन धाराओ के तहत टेक्स छूट का लाभ उठाने के लीये डिसैबिलिटी का परसेंटेज 40 फीसदी से कम नही होना चाहिए । अगर आप सिवियर डिसैबिलीटी के लिये मिलनेवाली छूट के तहत टैक्स छूट का दावा कर रहे है, तो डिसेबिलिटी कम से कम 80 फीसदी होनी चाहीए।

(३) टैक्स छूट की राशि डिसेबिलिटी पर निर्भर न की खर्च या उम्र पर :-

टैक्स छूट की राशि डिसेबिलिटी परसेंटेज पर निर्भर करेगी। अगर कोई व्यक्ति खुद या डिपेंडेंट 40 फीसदी या उससे अधिक डिसेबल है, लेकीन 80 फीसदी से कम है, तो डिडकशन की राशि 75000 रुपये हो सकती है। अगर सिवियर डिसेबिलिटी के तहत टैक्स छूट कलेम करना है, तो डिसेबिलिटी का परसेंटेज 80 फिसदी से अधिक होगा और कुल १.२५ लाख रुपये की छूट मिलेगी।

(४) कौन - कौन से दस्तावेजो की जरुरत ?

80DD या 80U के तहत टैक्स छूट का दावा करने के लीये डिसेबिलिटी सर्टीफीकेट देना होता है। यह सर्टीफीकेट अधिकृत मेडीकल अर्थारिटी से प्राप्त कीया जा सकता है आयकर कानूनों के तहत टैक्स छूट का दावा करने के लीये फोर्म 10-1A में निर्दिष्ट नियमों के आधार पर ही प्रमाणपत्र देना होगा । प्रमाणपत्र निर्धारीत चिकित्सा अधिकारी से लिया हुआ होना चाहिए।

★ World AIDS Day क्यों मनाया जाता है विश्व एड्स दिवस

दुनियाभर में हरसाल 1 दिसंबर को एचआईवी संक्रमण के प्रति रोगो को जागरुक करने के लीये विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। सबसे पहले विश्व एड्स दिवस को वैश्विक स्तर पर मनाने की शरुआत WHO में एड्स की जागरुकता अभियान से जुडे जेम्स डबल्यु बुन और थौमस नेटर नाम के दो व्यक्तिओने अगस्त 1987 में की थी।

शरुआती दौर में विश्व एड्स दिवस में सिर्फ बच्चों और युवाओं से ही जोडकर देखा जाता था। जबकी एचआइवी संक्रमण कीसी भी उम्र के व्यक्ति को प्रभावित कर सकता है। जिसके बाद साल 1996 में HIV/AID(UNAIDS) पर संयुक्त राष्ट्रने वैश्विक स्तर पर इसके प्रचार और प्रसार का काम संभालते हुए साल 1997 में विश्व एड्स अभियान के तहत संचार, रोकथाम और शिक्षा पर काफी काम किया।

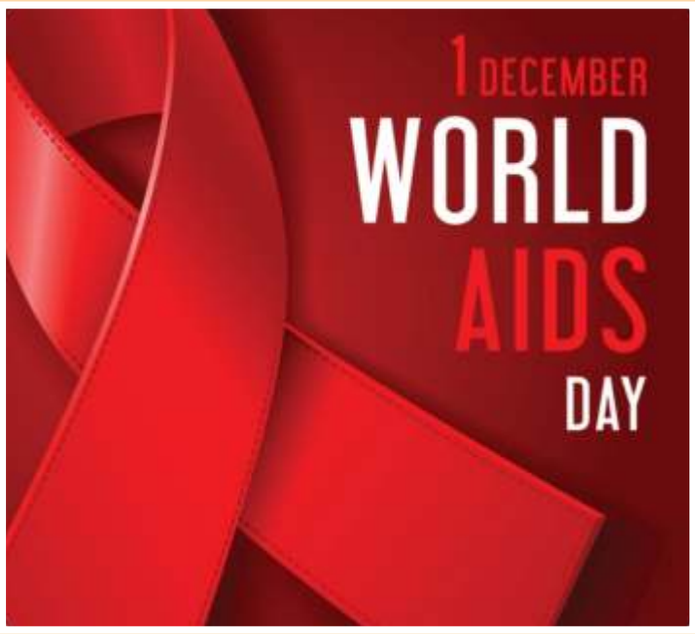

★ वर्ल्ड एड्स डे का उद्देश्य :-

वर्ल्ड एड्स डे के मनाने का उद्देश्य एचआईवी संक्रमण की वजह से होनेवाली महामारी एड्स के बारें में हर उम्र के लोगो के बीच जागरुकता बढाना है। एड्स वर्तमान युग में सबसे बडी स्वास्थ्य समस्याओ में से एक है। NICEF की रीपोर्ट की माने तो 2019 के अंत तक करीबन 36.9 मिलीयन लोग HIV के शिकार हो चुके है। जबकी भारत सरकार द्वारा जारी कीए गए आंकडो के अनुसार भारत में 2019 तक HIV के रोगियों की संख्या लगभग 2.1 मिलीयन बताई जा रही थी।

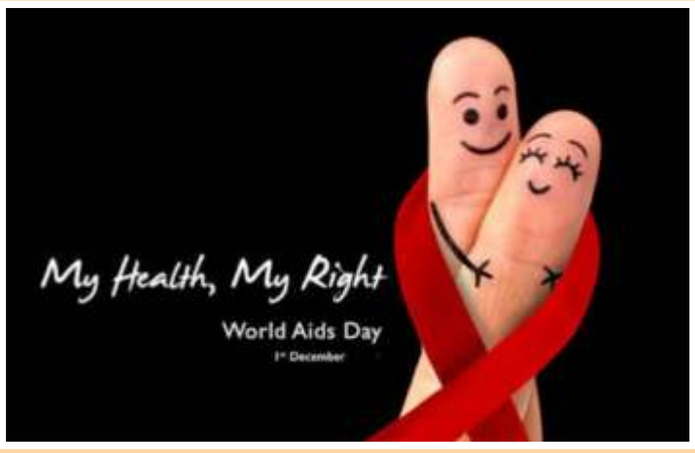

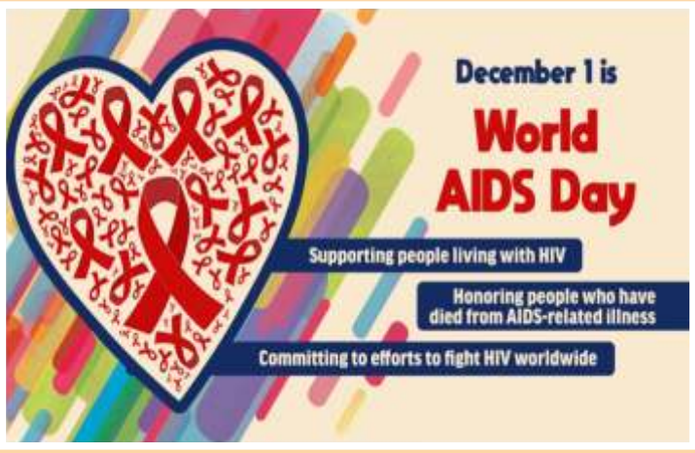

★ क्या है HIV AIDS:-

एचआईवी एक प्रकार के जानलेवा इंफेक्शन से होनेवाली गंभीर बिमारी है। जिसे मेडिकल भाषा में ह्युमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस यानी एचआईवी के नामसे जाना जाता है। जबकी लोग इसे आम बोलचाल में एड्स यानी एकवायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम के नाम से जानते है। इस रोग में जानलेवा इंफेक्शन व्यक्ति के शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता (इम्यून सिस्टम) पर हमला करताा है। जिसकी वजह से सामान्य बिमारीओ से लडने में भी वह सक्षम होने लगता है। यह बिमारी प्राथमिक चरण, चिकित्सा विलंबता होना और एड्स ऐसे तीन चरणों में होती है। आइए जानते हैं एड्स रोग कैसे फेलता है और बचाव के लिए क्या करना चाहीए।

★ AIDS कैसे फेलता है :-

- HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ यौन संपर्क से
- HIV संक्रमित सिरींज व सुई का दूसरो के द्वारा प्रयोग करने से
- HIV संक्रमित मां से शिशु को जन्म से पुर्व, प्रसव के समय या प्रसव के शीध्र बाद
- HIV संक्रमित अंग प्रत्यारोपण से
- एकबार HIV विषाणु से संक्रमित होने का अर्थ है - जीवनभर का संक्रमण एवं दर्दनाक मृत्यु
- इसके अलावा एक से अधिक लोगो से यौन संबंध रखनेवालो को, नशीली दवाईयां, ईंजेकशन के द्वारा लेनेवाले व्यक्ति को, यौन रोगो से पीडीत को, बिना जांच हुआ रक्त ग्रहण करनेवाले व्यक्ति को भी एड्स होने का खतरा बढ जाता है।

★ AIDS के बचाव

- जीवनसाथी के अलावा कीसी अन्य से यौन संबंध न बनाए।
- यौन संपर्क के समय निरोध का प्रयोग करे।
- नशीले ड्रग्स के आदी व्यक्ति के द्वारा उपयोग में ली गई सीरींज व सुई का प्रयोग न करे।
- रक्त की आवश्यकता होने पर अनजान व्यक्ति का रक्त न ले और सुरक्षित रक्त के लीये HIV की जांच कीया हुआ रक्त ही ग्रहण करे।
- AIDS पिडीत महिलाओ को गर्भ धारण नही करना चाहीए क्योंकी इससे शिशु को भी यह रोग लग सकता है।
- डिस्पोसेबल सिंरीज एवं सुई तथा अन्य चिकित्सकीय उपकरणों का 20 मिनिट पानी में उबालकर जीवाणुरहित करके ही उपयोग में लेवे तथा दुसरे व्यक्ति का प्रयोग में लीया हुआ ब्लेड / पत्ती काम में न ले।

★ याद रखे :-

एड्स - लाईलाज है - ''बचाव ही उपचार है''

ॐकार फाउन्डेशन ट्रस्ट

(N.G.O.)

संचालित

ॐकार दिव्यांग ट्रेनींग डे-केर सेन्टर

मानसिक दिव्यांग बच्चों के लिए निःशुल्क तालीमी संस्था

शाला में प्रवेश के लिए संपर्क करे

सुमेल ५, हाउस नं.: 48/डी, बिझनेश पार्क,
चामुंडा ब्रीज कोर्नर, असारवा,
अहमदाबाद-380 016
मो. : 99749 55125, 99749 55365